# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री  पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 3/2023

| अपीलांटगण | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 01..जोगाराम पुत्र स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम उम्र 52 वर्ष<br>02.मिसराराम पुत्र स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम उम्र 53 वर्ष के कायम मुकाम<br>2/1.श्रीमती गिगली देवी पत्नि स्व0 मिसराराम<br>2/2.दिनेश पटेल पुत्र स्व मिसराराम<br>2/3.मुकेश पटेल स्व0 मिसराराम<br>2/4.सुमित्रा पुत्री स्व0 मिसराराम पत्नि अशोक<br>03.भलाराम पुत्र स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम उम्र 47 वर्ष<br>04.श्रीमती हरकू पत्नि स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम उम्र 67 वर्ष सभी जाति पटेल निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी<br>05.श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री गोकुलराम पुत्री स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम जाति पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवास रूगोली फैन्सी स्टोर एम,जी रोड टमकुर कर्नाटक<br>06.श्रीमती निरमा पत्नि श्री कलाराम  पुत्री स्व0 श्री पूनाराम उर्फ पुनमाराम जाति पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी रोहिचा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवास 19 वासुदेव नगर चित्रकुट सोसायटी के पीछे मकताम्पुर भरूच गुजरात | | 01 ग्राम पंचायत धुन्धाडा जरिये सरपच<br>02.ग्राम पंचायत धुन्धाडा पंचायत समिति लूणी तहसील लूणी। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 113 ग्राम संत लिखमाराम नगर , तहसील– लुणी, के ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा दिनांक 07.12. 2020 को को नामान्तरकरण खारिज किया जाने के विरूद्व पेश किया गया ।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – श्री धनराज चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट को सुचना के बावजूद उपस्थित नही।

दिनांक : 01/05/2024

:: आदेश ::

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 113 दिनांक 07.12.220 ग्राम संत लिखमाराम नगर ग्राम पचायत धुन्धाडा तहसील लुणी, जिला जोधपुर द्वारा खारिज किया नामान्तरकरण के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट आपस मे सगे रिश्तेदार है और स्व0 श्री पूनाराम पुत्र श्री प्रभूराम पटेल के उत्तराधिकारी व वारिसान है अपीलाण्ट साधारण काश्तकार है एव खेती बाडी करते हैं अपीलाण्ट के पिता स्व श्री पूनाराम पटेल के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 635 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 633 रकबा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 645 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 646 रकबा 46 बीधा 11 बिस्वा कुल पाच खसरान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

की रकबा 46 बीधा 18 बिस्वा ग्राम सत लिखमाराम नगर ग्राम पचायत धुन्धाडा हल्का पटवार धुन्धाडा तहसील लूणी मे आई हुई हैं यह कृषि भूमि अपीलाट के पिता व पति स्व0 श्री पूनाराम पटेल के कब्जा काश्त की कूषि भृमि थी ओर वे ही एकमात्र खातेदार काश्तकार थे अपीलाट के पिता व पति स्व0 श्री पूनाराम पटेल ने अपने जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि का बहैसियत खातेदार काश्तकार उपयोग उपयोग किया और उनका नाम राजस्व रेकार्ड मे बखूबी बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज था। अपीलाट के पिता व पति स्व0 श्री पूनाराम का दिनांक 05.08.2020 को स्वर्गवास हो गया और तदोपरान्त उनके खातेदारी व कब्जा काश्त उक्त वर्णित कृषि भूमियो उनके पुत्रो जोगाराम मिसराराम भलाराम अपीलाट संख्या 1 से 3 पत्नि श्रीमती हरकू अपीलाण्ट सख्या 4 एव पुत्रियो श्रीमती निरमा व श्रीमती लीलादेवी अपीलाण्ट संख्या 5 व 6 को उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई स्व0श्री पूनाराम पटेल के स्वर्गवास के उपरात उनकी खातेदारी कब्जा काश्त व उपयोग उपयोग की उक्त भूमि उनके वारिसान यानि अपीलाण्ट को बराबर बराबर हिस्से मे उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई और स्व पूनाराम पटेल के सभी उत्तराधिकारियो यानि अपीलाट का उनकी कृषि भूमियो मे बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार है अपीलाट के पिता स्व0 श्री पूनाराम पटेल के स्वर्गवास के उपरात उनके सभी वारिसान उनकी कृषि भूमि मे संयुक्त रूप से काबिज हुए और तमाम कृषि भूमियो का उपयोग उपयोग कर रहे थे। अपीलाट के पिता व पति स्व0श्री पूनाराम पटेल का दिनाक 05.08.2020 को स्वर्गवास होने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारियो व वारिसान अपीलाट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क करके उक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार स्व श्री पूनाराम पटेल का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर अपीलाट का नाम राजस्व रेकर्ड म दर्ज करने का निवेदन किया गया अपीलाट के निवेदन पर हल्का पटवारी द्वारा दिनाकं 22.10. 2020 को अपीलाट के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1994 भरकर जॉच व निर्णय हेतु पेश किया इसके उपरान्त संबधित भू.अ,निरीक्षक धुन्धाडा ने इसकी जमाबन्दी से जॉच की अंकन को सही पाया ओर दिनाक 02.11.2020 को उक्त भरे गए नामान्तरकरण मे अंकन को सही होने का इन्द्राज किया। इसके पश्चात रेस्पोडेट विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाडा ने ग्राम पंचायत की बैठक करके सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 703 पर पूनाराम के वरिसान का अनाधिकृत कब्जा होने पुत्रियो की असहमति व नाम गलत होने को आधार बनाकर अपने निर्णय व आदेश दिनांक 07.12.2020 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 113 को खारिज कर दिया और इसकी कोई सूचना अपीलांट को नही दी। रेस्पोन्डैट विद्वान सरपंच को उक्त नामान्तरकरण संख्या 113 को खारिज करने से पूर्व अपीलाट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय व आदेश पारित करना चाहिए। परन्तु रेस्पोडेन्ट विद्वान सरपंच ने ऐसा नही करके अपीलाट के नाम से भरे गए उक्त फौतेदगी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नामान्तरकरण को खारिज करने मे भारी कानूनी एव वाक्याती भूल की है रेस्पोडेण्ट विद्वान संरपच के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनाक 07.12.2020 से व्यथित होकर अपीलाट की ओर से अपील न्यायालय मे पेशी की गई।

इसके साथ ही अपीलाण्ट ने म्याद अधिनियम के तहत धारा –5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी प्रावधानो के विपरीत एव अपीलाट को बिना सुने पारित किया गया है जो शुन्य श्रेणी का होने जिनको चैलेन्ज करने की कोई म्याद नही है ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत अपील मे विलम्ब को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई कर आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इस कारण से एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम सत लिखमाराम नगर ग्राम पचांयत धुन्धाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 113 दिनाक 07.12.2020 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए स्व0 श्री पूनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(पुखराज कोसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी, जिला जोधपुर।
लूणी